

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 4220 सन् 2026**

रामभद्र सिंह उर्फ रामजी

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अजीत कुमार सिंहविपक्षी(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अजीत कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री रंजना श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन थाना लोनार, जिला हरदोई में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 280 सन् 2025, अंतर्गत धारा 80(2), 85 भारतीय न्याय संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. उपरोक्त मामला प्रार्थी, उसके पिता, माता और दो बहनों के विरुद्ध 6.12.2025 को दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि शिकायतकर्ता ने अपनी बहन का विवाह 24.02.2025 को प्रार्थी के साथ संपन्न कराया था; सभी आरोपी व्यक्ति दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। जब शिकायतकर्ता 21.11.2025 को अपनी बहन के ससुराल गया, तो उसने यह आशंका व्यक्त की थी कि आरोपी व्यक्ति उसकी हत्या कर देंगे, फिर भी शिकायतकर्ता अपनी बहन को उसके ससुराल में ही छोड़ आया। दिनांक 26.11.2025 को शिकायतकर्ता को अपनी बहन की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।

4. शव-परीक्षण रिपोर्ट में पेट के बाईं ओर नाभि से 7 सेमी की दूरी पर 5 सेमी x 4 सेमी का एक नीलगू निशान होने का उल्लेख है। तिल्ली फटी हुई पाई गई और पेट की गुहा में लगभग 600सीसी थक्केदार तरल मिश्रित रक्त मौजूद था। मृत्यु का कारण उक्त मृत्यु-पूर्व की चोट के कारण उत्पन्न आघात और रक्तस्राव बताया गया है। मृतका आठ माह की गर्भवती थी।

5. विवेचक द्वारा दर्ज किए गए शिकायतकर्ता के बयान में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के संस्करण को ही दोहराया है।

6. विवेचक ने कुछ अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जिन्होंने कहा कि मृतका का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उसका इलाज चल रहा था। उसे कई बार रक्त चढ़ाया गया था। उसे 26.11.2025 की सुबह कटियार नर्सिंग होम, हरदोई में भर्ती कराया गया था, जहाँ से लगभग चार-पांच घंटे बाद उसे लखनऊ के लिए संदर्भित कर दिया गया। लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। कटियार नर्सिंग होम, हरदोई के चिकित्सीय दस्तावेज जमानत आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं। मृतका को आम्रपाली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, दुबग्गा, लखनऊ ले जाया गया था जहाँ डॉक्टर ने प्रमाणित किया है कि वह 26.11.2025 को शाम 07.35 बजे अस्पताल पहुँची, और उसे बाहर से ही कृत्रिम श्वास नली लगाई गई थी। अस्पताल में प्रवेश के समय उसके जीवन-लक्षण मापने योग्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नहीं थे। उसे सी.पी.आर. और उसके बाद डिफाइब्रिलेशन दिया गया, लेकिन उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका।

7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल हलफनामे में यह कहा गया है कि प्रार्थी एक निर्दोष व्यक्ति है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता राधेश्याम उर्फ छोटकके सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4035 सन् 2026 में आदेश दिनांक 09.06.2026 के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है, तथा प्रार्थी की माता को भी इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3237 सन् 2026 में आदेश दिनांक 11.06.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान आरोप स्थापित हो चुके हैं तथा दिनांक 24.04.2026 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

9. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले दो सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 01.01.2026 से जेल में निरुद्ध है, जबकि विवेचना पहले ही पूर्ण हो चुकी है, मेरी यह राय है कि प्रार्थी भी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

11. प्रार्थी- **रामभद्र सिंह उर्फ रामजी** को संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के संतोषप्रद, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

- i. प्रार्थी अभियोजन के साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- ii. प्रार्थी अभियोजन के गवाहों पर कोई दबाव नहीं बनाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

17 जून, 2026

आरती/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।